



उनवान:- शारदा देवी बनाम छोटेलाल
दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
3/9/24	<p>वादी की ओर से श्री विष्णु कंटक एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 07.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी </p>	<p>5091-92 3/9/24</p>
7/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील ने उपखण्ड क्षेत्र कोर्टिका पर इस वावत इन्तहाफत क्रिमे की पञ्जाकारण के मध्यराजीनामा देखा है। इसलिख वादी का दावा वावत स्थायी निषेधाज्ञा नोटिस से शारेज किया जाग है। पत्रावली पेश करुकर टोकर नरकर से कम कर डालिये इफरत हो।</p> <p style="text-align: center;">  V. Kantele. Ad. </p> <p>उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-गंगापुर सिटी</p>	<p>Not press V. Kantele. Ad.</p>

